कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2636355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / आवंटन / 2015 / 1802–5 / 3067 दिनांक 1 जुलाई, 2016

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री कैलाश चन्द्र मीणा, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 27 जून, 2016 को सांय 4.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 12 मार्च, 2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 12 मार्च, 2016 को आयोजित हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो चुका है। अतः कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 12 मार्च, 2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण की समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान (ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन) करने के संबंध में।

प्राधिकरण की समस्त प्रातियां एवं भुगतान (ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन) तथा संधारित खातों को ऑनलाइन एक्सेस के प्रयोजनार्थ किसी बैंक की captive branch के माध्यम से सेवाओ के उपापन के उदेश्य से ICICI बैक के प्रस्तावों को समुचित मानते हुए इस दिशा में अग्रिम कार्यवाही की गयी है।

ICICI बैक द्वारा प्रस्तावित तकनीकी समाधान के अन्तर्गत निम्नलिखित मोड्यूल नियोजित किए जायेंगे–

1. Pyament Gate Way (Easy Pay)–इसके अन्तर्गत प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी
2. cash management service – इसके अन्तर्गत रोकड एवं चैको के पिकअप की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
3. I sure pay– इसक अन्तर्गत प्राधिकरण के पक्ष मे रोकड जमा करने की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सेवाए भी बैक द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

1. बैक द्वारा captive branch प्राधिकरण के नये कार्यालय परिसर में खोली जायेगी जिसका नियमानुसार किराया मय विद्युत प्रभार बैक द्वारा वहन किया जायेगा।

2. लेनदेनो का दिन प्रतिदिन आधार पर Real time Reconciliation सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
3. बैक के साथ MOU का निष्पादन किया जायेगा जिसमे समस्त कार्य का विवरण एवं शर्तो का समावेष किया जायेगा।
4. इसके अतिरिक्त अन्य आनुषंगिक सेंवाये भी उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. बैक द्वारा समस्त सेवाए निषुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी जिसका MOU में स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध किया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली के पेरा नं 418 दिनाकं 04.04.16 द्वारा अनुमोदित है तथा अनुमोदित प्रस्ताव की पालना के निम्नलिखित

1. बैक मे दो खाते खोल दिए है।
2. बैक के साथ MOU का निष्पादन किया गया है।
3. बैक को captive branch के लिए स्थान चिन्हित कर दिया गया है तथा किराया निर्धारण करके परिसर सौपा जाना है।

अतः उक्त अनुसार कार्यवाही का अनुमोदन तथा साथ ही बैक की शाखा के प्राधिकरण परीसर में नवनिर्मित होने वाले भवन के भूतल पर जगह आवंटन एवं बैक से नियमानुसार लीज संपादन कर प्रस्ताव भी अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक–वित्त ने अवगत कराया कि बैंक द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2016 से कार्यालय में अस्थायी संग्रहण केन्द्र स्थापित कर दिया जावेगा जिसकी बैंक को अनुमति प्राप्त हो चुकी है। प्राधिकरण के निर्माणाधीन नवीन कार्यालय भवन में एकल खिडकी में आधा हिस्सा बैंक को स्थापित करने हेतु आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। बैंक द्वारा इसका विधिवत् रूप से किराया दिया जावेगा।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: 33 केवी जी.एस.एस. सब स्टेशन निर्माण हेतु विद्युत विभाग को भूमि आवंटन करने के संबंध में।

अधीशाषी अभियंता (बी–जोन), जोविविनिलि, जयपुर के पत्र कमांक 1697 दिनांक 23.9.2014 के द्वारा मानसरोवर कोलॉनी के रहवासियो द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन पर एवं कोलॉनी में वॉल्टेज की अत्यन्त समस्या होने पर खसरा संख्या 265/1 ग्राम पाल में 33/11 केवी सबस्टेशन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है। मानचित्र में प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 231 में ओसीएफ की जमीन आरक्षित की गई है। प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार जोविविनिलि द्वारा चार दिवारी बनाकर उपयोग में ली जा रही है। भूमि में से रास्ते की भूमि कम की जाने पर कुल क्षेत्रफल 4415.25 वर्गफीट यानि 490.58 वर्गगज भूमि पाई गई है। पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त क्षेत्र प्राधिकरण के गैर योजना क्षेत्र में बाड़मेर सड़क, एम्स सड़क, सालावास सड़क एवं बाईपास सड़क के मध्य के क्षेत्र में स्थित है एवं खसरा नं. 231(मानसरोवर) के स्वीकृत लेआउट प्लान का भाग है। उक्त भूखण्ड पर विद्युत विभाग का कब्जा एवं जी.एस.एस निर्मित है। आयोजना भाखा की रिपोर्ट अनुसार ओसीएफ में जी.एस.एस. अनुज्ञय है। प्रस्तावित भूमि की आवासीय आरक्षित–दर 2500/– रू. एवं व्यवसायिक आरक्षित–दर 5000/– रू. प्रतिवर्गमीटर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है। पूर्व में जारी आरक्षित–दर को 3 वर्श पूर्ण होने के कारण आरक्षित–दर में 10 प्रतिशत की बढोतरी की गई है। बढोतरी अनुसार वाणिज्यिक दर 5500/– रू. प्रतिवर्गमीटर होती है। विद्युत विभाग को उपरोक्त भूमि वाणिज्यिक आरक्षित–दर पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

आवंटन की सक्षम स्वीकृति नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से लिया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णायत प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: विवेक विहार योजना में विद्युतीकरण सबस्टेशन स्थापना हेतु विद्युत विभाग को तीन 33/11 के.वी. जी.एस.एस. एवं 132/33 केवी जी.एस.एस. निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में विधुतीकरण के कार्य हेतु योजना के सेक्टर–सी, ई व जे में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमियां 33/11 केवी जी.एस.एस. एवं सेक्टर जे में ओसीएफ हेतु आरक्षित 7908.87 वर्गमीटर भूमि में से 5000 वर्गमीटर भूमि 132/33 केवी जी. एस.एस. हेतु प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता (विधुत) द्वारा निःशुल्क विधुत विभाग को आवंटन करने की मांग की गई। विवेक विहार योजना में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमियां एवं ओसीएफ भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.स	सेक्टर	भूमि का आरक्षित प्रकार	क्षेत्रफल
1.	सी	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1432.00 वर्गमीटर
2.	ई	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1812.00 वर्गमीटर
3.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1674.80 वर्गमीटर
4.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	7908.87 वर्गमीटर

विवेक विहार योजना में विधुतीकरण हेतु तीन 33/11 केवी सबस्टेशन एवं 132/33 केवी जी.एस.एस. हेतु पूर्व में कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 26/8/15 के प्रस्ताव सं. 13 में निर्णय लिया कि विधुत विभाग जोधपुर के परिपत्र एवं नगरीय विकास विभाग, जयपुर के परिपत्र मे दर के संबंध में भिन्नता होने के कारण, भूमि आवंटन की दर निर्धारण करने हेतु प्रकरण को नगरीय विकास विभाग, जयपुर से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया था। मार्गदर्शन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(58)नविवि/जोधपुर/2015 जयपुर दिनांक 03.5.2016 के अनुसार नवीन आवंटन नीति के तहत प्रस्ताव प्राप्त कर, परीक्षण कर प्रस्ताव अभिमत सहित भिजवाने के निर्देश है। अतः विधुत विभाग से नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत निर्धारित प्रपत्र "स" भरकर प्रस्ताव मंगवाया गया है, तथा नवीन आवंटन नीति के तहत प्रकरण का परीक्षण कर लिया है।

अधिशाषी अभियंता (बी–जोन) जो.वि.वि.नि.लि. जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक अधिशाषी अभियंता/ बी–जोन/जोधपुर/प्रेशित/3265 दिनांक 4.3.2016 के द्वारा जी.एस.एस. के निर्माण हेतु जनहित में निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है। अतः राज्य सरकार को विधुत विभाग द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव को भिजवाया जाना है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णायक हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव में वर्णित भूमि वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत राजस्व गांव तनावड़ा में 400 ई.डब्ल्यू.एस एवं 192 एल.आई.जी. के अन्तर्गत कुल 592 आवास गृह निमार्ण हेतु दिनांक 24.11.2015 को अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) निविदा सूचना सं. 34/15-16 जारी की गई थी। निविदा जमा कराने की निर्धारित अंतिम दिनांक 08. 02.2016 को एकल निविदा M/s. Prime Civil Infra Structures Pvt. Ltd. द्वारा अपनी निविदा प्रस्तुत की गई। दिनांक 09.02.2016 को M/s. Prime Civil Infra Structures Pvt. Ltd. की तकनीकी बिड खोली गई तथा तकनीकी बिड स्वीकृत कमेटी द्वारा M/s. Prime Civil Infra Structures Pvt. Ltd. द्वारा निर्धारित योग्यता रखने के कारण सफल घोषित किया गया तथा दिनांक 29.02.2016 को वितिय बिड खोली गई। M/s. Prime Civil Infra Structures Pvt. Ltd. द्वारा राशि रू. 939/- प्रति वर्गफिट दर प्रस्तुत की गई। उक्त योजना हेतु जोधपुर विकास प्रधिकरण की निविदा स्वीकृत कमेटी द्वारा सर्वसहमति से प्राप्त दरो का अनुमोदन कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग एवं योजना के राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी श्री प्रदीप कपूर से वार्तालाप अनुसार उपरोक्त दर अनुमोदन एवं व्यय की जाने वाली राशि की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर ही सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये गयें। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 18(31)नविवि/ एचएफए-2022/2015 दिनांक 16.05.2016 के आदेश के बिन्दु संख्या 4 में प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति हेतु श्रीमान आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया।

अतः योजना के निम्नबिन्दुओं की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत है।

1. योजना में प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति हेतु कुल 592 आवासगृह निर्माण किये जाने प्रस्तावित है। इस हेतु कुल राशि रू. 2712.00 लाख की लागत अनुमानित है। अतः राशि रू. 2712.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति जारी किया जाना प्रस्तावित है।

2. उक्त योजना में M/s. Prime Civil Infra Structures Pvt. Ltd. की एकल निविदा प्राप्त हुई है। जिसमें फर्म द्वारा राशि रू. 939/- प्रति वर्गफिट दर प्रस्तुत की गई है। उक्त योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना होने एवं निर्धारित समयावधि में गृह निर्माण करवाये जाने का लक्ष्य होने के कारण M/s. Prime Civil Infra Structures Pvt. Ltd. की दर राशि रू. 939/- प्रति वर्गफिट स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

3. इस बिड की टेक्निकल बिड दिनांक 09.02.2016 को खोली गई। अधिकतम समयावधि 90 दिवस में आवश्यक क्रियाविधियां पूरी नहीं होने के कारण कार्यकारी समिति बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित निदेशक-वित्त ने विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया कि 90 दिवस में आवश्यक कियाविधियां पूर्ण नहीं होने के कारण अब प्रकरण में कार्यकारी समिति की स्वीकृति अपेक्षित है तथा प्राप्त दरें तुलनात्मक रूप से उचित होने से स्वीकार योग्य है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रस्ताव अनुमोदन/स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

प्राधिकरण क्षेत्र में विकास कार्य करवाने हेतु जिला परिषद/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि प्राधिकरण अधिनियम में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित उपायुक्त–दक्षिण ने अवगत कराया कि जिला परिषद /ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग की जाती है लेकिन नियमों में प्रावधान नहीं होने से वांछित अनापत्ति नहीं दी जा रही है। महागांधी नरेगा, एम.पी. लैड, एम. एल.ए. लैड, जल स्वावलम्बन योजना अन्तर्गत नाडी खुदाई, सडक निर्माण आदि जैसे आमजन से जुड़े विकास कार्यों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना उचित होगा तथा भूमि आवंटन के प्रकरणों में अनापत्ति पत्र जारी करने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करना उचित होगा।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से महागांधी नरेगा, एम.पी. लैड, एम.एल.ए. लैड, जल स्वावलम्बन योजना अन्तर्गत नाडी खुदाई, सडक निर्माण आदि जैसे आमजन से जुड़े विकास कार्यों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा भूमि आवंटन के प्रकरणों में अनापत्ति पत्र जारी करने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: कराये गये भौतिक सर्वे के भुगतान के संबंध में।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के तहत दिनांक 17/06/1999 से पूर्व बसी कॉलोनी एवं जिन खसरों का सम्पूर्ण प्लान उपलब्ध नही होने के कारण राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन, राजस्थान सरकार के पत्र प. 10(228) नविवि/3/10 दिनांक 04/05/2011 के क्रम में श्रीमान् आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के आदेश एस.पीए./आयुक्त/2011/1665–67 दिनांक 10/06/2011 के आदेशानुसार जोन उपायुक्त द्वारा दिये गये आदेशों की पालना मे निम्नलिखित सर्वे कम्पनियों द्वारा खसरों का भौतिक सर्वे के आधार पर सर्वे किया गया था। जिसका विवरण संलग्न निम्नानुसार है –

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	बिल के अनुसार भुगतान योग्य	भुगतान किया	बकाया राशि
1	M/s Sansirishti Infa Desgns Pvt. Ltd. Jaipur	12,65,560.80/–	4,66,726/–	7,98,834.80/–
2	M/s Sidhu Servey Service Jodhpur	26,64,078/–	28,61,982/–	1,02,096/–
3	M/s Hema ram & company Jodhpur	3,31,904/–	----	3,31,904/–
4	M/s Infratech services Pvt. Ltd.	3,30,501/–	----	3,30,501/–
5	M/s Sidhu Survey Service Jodhpur	1,03,152/–	----	1,03,152/–

उपरोक्त वर्णित बिलों के भुगतान के लिए कम्पनी द्वारा बार बार कार्यालय मे उपस्थित होकर एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिलों का भुगतान करने का निवेदन किया जा रहा है। उपरोक्त बिलों की राशि का भुगतान करने से पूर्व लेखा शाखा/रोकड शाखा द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जाने के पश्चात् बिलों भुगतान किया जाना है। अतः बिलों के भुगतान के सम्बन्ध मे प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णियार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण निदेशक–वित्त से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ली नेड कदमखण्डी बड़ली खसरा नम्बर 88 में 3,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।

विकास अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर मुख्य मण्डोर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र 'स' प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजकीय उचच प्राथमिक विद्यालय बडली नेड कदमखण्डी बडली खसरा न0 88 में 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली खसरा न0 88 कुल रकबा 3306.18 बीघा किस्म गैर मुमकिन छित्तर है। उपरोक्त खसरे कि भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बडली में वर्तमान में ग्राम में स्थित सामुदायिक भवन में संचालित हो रही है। प्रस्तावित स्थल पर विद्यालय भवन निर्मित नही है एवं भूमि रिक्त दर्शाई है। पत्रावली में संलग्न राजस्व नक्शे में भूमि लाल स्याही से चिन्हिकरण किया गया है।

नवीन आवंटन नीति 2015 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है एवं संभागीय मुख्यालय को छोडकर 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया कि प्रकरण में भूमि आवंटन किया जाना उचित है तथा आवंटन किये जाने में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बडली नेड खदमखण्डी को 2,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: श्री बाबू मोहम्मद हुसैन द्वारा आदेश की पालना नहीं होने के कारण होने वाले अन्याय से न्याय दिलाने बाबत।

श्री बाबु मोहम्मद हुसैन द्वारा तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर में 150/– रसीद संख्या 141727/26 दिनांक 29/06/1973 को DAS (deposit allotment scheme) के तहत जमा कराये थे। ततपश्चात तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा DAS के तहत 850/– और प्रार्थी से जरिये रसीद संख्या 866/18 दिनांक 30/11/1985 को जमा कराये थे। कुल DAS के तहत धरोहर राशि 1000/– जमा करवाये थे।

तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा प्रार्थी को पत्र द्वारा अवगत कराया कि निम्न योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आप अपनी सहमति दिनांक 30/11/1985 तक कार्यालय से प्रस्तुत करावें।

1. कीर्ति नगर योजना
2. कबीर नगर योजना
3. राजबाग योजना
4. सुभाष नगर योजना

किन्तु प्रार्थी द्वारा उपरोक्त योजना में से सहमति प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रार्थी को DAS के तहत भूखण्ड आवंटन लौटरी द्वारा नहीं किया गया था। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त योजना के लिए दिनांक 30/11/1985 को सहमति नहीं दी गई जिसके कारण प्रार्थी को उपरोक्त चारों योजना में से एक भी योजना में लौटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन नहीं हुआ है।

प्रार्थी द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु यदि सहमति दी है तो उसकी प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करावें। तथा प्रार्थी भूखण्ड आवंटन हेतु राजस्थान संख्या 0416285737487 दिनांक 21/4/2016 को शिकायत दर्ज की है, जिला स्तरीय प्रकरण संख्या 0516285757402 दिनांक 09/06/2016 शिकायत दर्ज की है तथा जिला स्तरीय जनसुनवाई की कार्यकारी विवरण

दिनांक 14/6/2016 में निर्णय लिया कि प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण कर सात दिवस में जिला स्तरीय जनसुनवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश है। अतः उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी का प्रकरण तात्कालीन नगर विकास न्यास के समय से चल रहा है अतः प्रार्थी को भूखण्ड आवंटन किया जावे तथा DAS के तहत जमा राशि में ब्याज से रिफण्ड कर दिया जावे। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया कि आवेदक द्वारा राशि अवश्य जमा करायी थी लेकिन प्रार्थी को कोई भूखण्ड आवंटन होना उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले ब्याज 4 प्रतिशत वार्षिक सहित राशि लौटाया जाना उचित होगा।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थी को उसकी जमा राशि मय 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित लौटाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: खसरा नम्बर 141 (मीन) रिडमल नगर में चिकित्सालय एवं बहुउद्देश्य सेवा प्रकल्प के लिए जमीन निःशुल्क आवंटन हेतु।

कोष प्रमुख डा0 हेडगेवार स्मृति सेवा प्रन्यास जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न खसरा न0 141 (MIN) रिडमल नगर का मानचित्र, प्रन्यास प्रलेख, आडिट प्रति आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा न0 141 (MIN) में रिक्त OCF भूमि निःशुल्क आवंटन करने कि मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा न0 141 (MIN) ग्राम चौपासनी जागिर का मौका रिपोर्ट देखा गया जिसमें स्वीकृत layout plan में उक्त भूमि को community hall (कम्युनिटी हॉल) के रूप बताया गया है। मौके पर उक्त भूमि पर चार दिवारी एवं फाटक लगी हुई है। मौके पर उक्त भूमि का माप $\frac{314+264}{2}$ X 170 है।

प्रन्यास का उद्देश्य सभी तरह की सेवा प्रकल्प एवं कार्य धर्म सम्प्रदाय जाति वर्ग भाषा एवं समानान्तर आदि बिना भेदभाव के करने का विधान किया है। प्रार्थना पत्र में AIEMS एवं अन्य चिकित्सकीय कार्य से आने वाले रोगी एवं उनके सहायकों के लिए आवास एवं भोजन की सुचारू व्यवस्था हो सके इस हेतु रोगी सहायता एवं आवास हेतु चाही गई है।

प्रकरण में आयोजना शाखा कि रिपोर्ट प्राप्त कि गई जिसमें बताया कि आवेदक द्वारा चिकित्साकीय प्रयोजनार्थ आवंटन चाहा गया है। एवं community hall में उपरोक्त उपयोग अनुज्ञेय नही है।

नवीन आवंटन नीति 2015 में सामुदायिक केन्द्र हेतु संभागीय मुख्यालय पर 1500 वर्गमीटर एवं संभागीय मुख्यालय को छोडकर भी 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है किन्तु उपरोक्त प्रन्यास के उद्देश्य के अनुसार भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नही है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रन्यास के उद्देश्य के अनुसार भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं होने से प्रकरण में भूमि आवंटन नहीं करके प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: पेरोनमा हेतु भूमि आवंटन बाबत।

पेरोनमा कार्यकारी अधिकारी राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण का पत्रांक दिनांक 29/01/2016 के द्वारा अवगत करवाया कि दिनांक 08/01/2015 को प्राधिकरण के

अधिकारी श्री मोहनसिंह राजपुरोहित एवं उनके सहयोगी कार्मिक की उपस्थिति मे एवं जोधपुर प्रवास के दौरान माननीय अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत के साथ वीर दुर्गादास स्मृति स्थल का संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। वीर दुर्गादास राठौड स्मृति स्मार के सामने की पहाडी के स्थल का पेरोनमा हेतु चयन किया गया। उपरोक्त पेरोनमा हेतु तहसीलदर (पश्चिम) एवं पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उक्त स्थल दोनों पहाडियों पर समतल भूमि है जो रिक्त दर्शाई है। पटवारी द्वारा पत्रावली में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12/03/2016 प्रस्ताव संख्या 19 मे निर्णय लिया कि नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत परीक्षण कर आवेदक संस्था को कितनी भूमि की आवश्यकता है व कितनी भूमि उपलब्ध है। नवीन आवंटन नीति परीक्षण किया गया तथा मुख्यतः कितनी भूमि उपलब्ध है कि रिपोर्ट पटवारी से मंगवाई गई रिपोर्ट निम्नानुसार है – राजस्थान धरोहर संरक्षण हेतु मसूरिया पहाडी पर 76+61/2 X 30+40/2 भूमि उपलब्ध है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया गया कि चाही गयी भूमि पहाडी भूमि है तथा प्राधिकरण के लिए किसी प्रकार उपयुक्त नहीं है। अतः आवेदक संस्था को भूमि आवंटित की जाती है तो प्राधिकरण को कोई नुकसान नहीं होगा। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार आवेदक संस्थान को भूमि आवंटन करने की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: उच्च जलाशय हेतु भूमि आवंटन बाबत।

मसूरिया पहाडी पर उच्च जलाशय हेतु जलदाय विभाग द्वारा भूमि आवंटन की मांग की है। भूमि का माप 30+22/2 X 40 वर्गमीटर उपयुक्त बताई है तथा जलदाय विभाग की प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया गया। जिसमे प्रतिनिधि द्वारा मसूरिया पहाडी पर आने के रास्ते पर नीचे अन्य स्थान पर जलदाय विभाग के उच्च जलाशय हेतु भूमि आवंटन करने की मांग की है। जिसमे पटवारी पश्चिम से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमे बताया कि जलदाय विभाग के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित भूमि संकरी एवं असमतल होने के कारण उच्च जलाशय हेतु भूमि उपयुक्त नही है एवं राजस्थान धरोहर संरक्षण हेतु मसूरिया पहाडी पर 76+61/2 X 30+40/2 भूमि उपलब्ध है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया कि भूमि रास्ते में आवंटन की मांग की है जो व्यवहारिक नहीं है तथा भूमि आवंटन योग्य भी नहीं है। इसी स्थान के पास ही पूर्व में जी.एल.आर. बना हुआ है वहां भूमि आवंटन की मांग की जाती है तो उस पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में आवंटन हेतु आवेदित भूमि को आवंटन नहीं करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: रामकृष्ण सेवाश्रम को भूमि आवंटन।

अध्यक्ष रामकृष्ण सेवाश्रम श्री O.P.N. कल्ला द्वारा प्रार्थना पत्र एवं नवीन आवंटन नीति के तहत परिशिष्ट 1 एवं प्रपत्र 'अ' भरकर प्रस्तुत किया एवं नवीन आवंटन नीति के तहत आवेदन शुल्क 5000/– DDNo- 208098 11/2/2015 को revaludated on 3/05/2016 कर प्रस्तुत किया जिसे प्राधिकरण रोकडपाल को जमा करा दी है।

उपरोक्त संस्थान द्वारा ध्यान केन्द्र एवं समाज उपयोगी गतिविधियों हेतु भूमि वर्ष 2012 में मण्डोर –नागौर हाइवे पर 10 एकड भूमि की मांग की है। उपरोक्त स्थल पर भूमि उपलब्ध नही होने पर प्राधिकरण कि भूमि ग्राम लोरडी के खसरा नं0 100, 103व 104 हेतु पटवारी कि

रिपोर्ट प्राप्त हुई भूमि कि किस्म B–III है। एवं भूमि प्राधिकरण के नाम है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 30/3/2013 के प्रस्ताव सं0 32 में निर्णय लिया कि लोरडी पंडित जी योजना में संस्थापिक भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करावे।

संस्थान को सचिव महोदय के पत्रांक 1216 दिनांक 16/7/2015 से अवगत कराया कि ग्राम पालडी खिचियान खसरा नं0 93/10 में 10 एकड भूमि दिया जाना संभव नही है। अतः अन्यत्र स्थान पर भूमि आंवटन का प्रस्ताव भिजवाया जावे। संस्थान द्वारा दिनांक 4/3/2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नं0 67, 68 ग्राम गेंवा में 10 एकड की मांग की गई है। खसरा नं0 68 ग्राम गेवा का रकबा 28–12 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरा है। तथा प्राधिकरण खाते में दर्ज है। अतः प्रकरण निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में गुलाब कोठारी बनाम स्टेट व अन्य जनहित याचिका विचाराधीन है। अतः ऐसी परिस्थिति में आवंटन संबंधी निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा।

अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम स्टेट व अन्य में निर्णय पारित होने के पश्चात् प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: खसरा नम्बर 225 ग्राम राजवा में आबादी विस्तार एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति बी.पी.एल. परिवार का कब्जा नियमन करने बाबत।

विकास अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत परिशिष्ट 1 एवं प्रपत्र 'स' तैयार कर प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत पोपावास ग्राम राजवा खसरा नं0 225 में आबादी भूमि विस्तार एवं SC, ST, BPL परिवारों के कब्जे नियमन करने हेतु 15 बीघा भूमि आवंटन कि मांग की है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम राजवा का खसरा नं0 225 कुल रकबा 467–16 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड है। उपरोक्त खसरे कि भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। 15 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने कि मांग की है। जो कि ग्राम कि आबादी के खसरे नं0 225/24 के लगती हुई है। प्रस्तावित भूमि में 30–40 मकान निर्मित है।

वर्ष 2001 से 2011 तक की गांव की कुल जनसंख्या अनंसार व वर्तमान में आबादी में कितनी भूमि दर्ज है की रिपोर्ट पटवारी से मंगवाई गई। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम राजवा की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 1555 व्यक्ति है। ग्राम राजवा के खसरा नं0 223 रकबा 32–09 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी एवं खसरा नं0 225/24 रकबा 5 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। उपरोक्त 2 खसरे ही आबादी के रूप में है। अतः ग्राम पंचायत को 6 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में संपूर्ण तथ्य अंकित कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: अरणा विहार आवासीय योजना भूखण्ड संख्या सी–197 के संबंध में।

प्रार्थी श्री सोहनराज पुत्र श्री भंवरलाल ने प्राधिकरण कि आवासीय योजना अरणा विहार में आवेदन किया था। प्रार्थी अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया था आवेदन पत्र में प्रार्थी द्वारा अनु0 जाति वर्ग में (√) टिक किया गया है। जबकि प्रार्थी को सामान्य वर्ग कि लौटरी में भूखण्ड सं0 C–197 (4.5 X9 मी0) का आवंटन हुआ है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं अनपढ़ हूँ तथा मेरा आवेदन मेरे मौहल्ला निवासी द्वारा भरा गया जिसकी मुझे कोई जानकारी नही थी तथा मैंने आवेदन जमा करा दिया तथा मेरे नाम से भूखण्ड सं0 C–197 अरणा विहार योजना में आवंटन हुआ है। अतः उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी करने कि मांग की है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ तथा मजदूरी करता हूँ। अतः मुझे आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी कराने का अनुरोध किया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने अभिमत प्रकट किया कि प्रकरण में आवंटन किया जाना उचित होगा। बैठक में उपस्थित निदेशक–विधि ने भी प्रकरण में आवंटन में कोई वैधानिक अडचन होने से इंकार किया। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: अरणा विहार आवासीय योजना भूखण्ड संख्या सी–338 के संबंध में।

प्राधिकरण कि आवासीय योजना अरणा विहार योजना में श्री विकास सिंह शेखावत द्वारा ऑन लाइन फॉर्म सं0 10017 अल्प आय वर्ग 'ए' में सैनिक वर्ग में आवेदन किया था। प्रार्थी को सैनिक वर्ग कि लौटरी में भूखण्ड सं0 C–338 (4.5 X9 मी0) का आवंटन हुआ था। प्रार्थी स्वयं सैनिक नही है उनके पिताजी भूतपूर्व सैनिक है। अतः उपरोक्तानुसार विधि शाखा कि रिपोर्ट प्राप्त कि जो नियमानुसार है।

पत्रावली का अध्ययन किया एवं मामले पर विचार किया। बुकलेट के बिंदु संख्या 10 में भूखण्डों के आरक्षण की तालिका के स्तंभ 2 में निम्न शब्दावली प्रयुक्त हुई है–

"सैनिक/सेवानिवृत सैनिक एवं सेवाकाल के दौरान वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाऐं एवं आश्रितों के लिए"

वर्तमान मामले में प्रश्न ये है कि क्या सेवानिवृति सैनिक के जीवित रहते उसके पुत्र के द्वारा सैनिक कोटे में आवेदन किया जा सकता है ? 'आश्रित ' शब्द मृतक के संबंध में प्रयुक्त होता है। ऐसा प्रकट होता है कि आवेदन पर मौजूदा दृष्टिकोण से विचार नही हुआ है एवं सेवानिवृत सैनिक ने भी इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। आवेदन को स्वयं सेवानिवृत की ओर से आवेदन माना जाकर कार्यवाही करने बाबत विचार करना हमारे विनम्र मत में किया जा सकता है।

उपरोक्त रिपोर्ट विधि शाखा से प्राप्त हुई है अतः प्रकरण में आवेदन भूतपूर्व (सेवानिववृत) सैनिक के पुत्र है, पिता जिवित है। अतः उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी किया जावे अथवा भूखण्ड निरस्त किया जावे के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से भूखण्ड़ का आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: इंस्टीट्यूट सेकेट्रीज ऑफ इण्डिया को भूमि आवंटन।

चीफ एजेकेटीव एवं ऑफिस सिटिंग सेक्रेटरी इन्स्टीट्युट सेकेट्रीज ऑफ इण्डिया की नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत आवेदन किया गया है जिनका रजि. न0 registered under section80 G (5) (vi) of income tax act 1961 vide letter no DIT (E) 2008 –09/I–213/1854 दिनांक : 30/09/2008 का प्रस्तुत किया है। संस्थान द्वारा खसरा न0 643/644 ग्राम चौखा हेण्डलुम टेक्नोलोजी के पास 2000 वर्ग गज भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। संस्थान द्वारा नवीन आवंटन नीति के तहत आवेदन शुल्क 5000/– की डी.डी. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम प्रस्तुत की है जो रोकड शाखा में जमा करा दी है।

उपरोक्त संस्थान को खसरा न0 643/644 ग्राम चौखा की मौका रिपोर्ट पटवारी से मंगवाई जाने पर उपरोक्त खसरा में 3033.33 वर्ग गज भूमि रिक्त दर्शाई है। उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 12/3/2016 के प्रस्ताव संख्या 18 में निर्णय लिया गया था कि नवीन आवंटन नीति के तहत परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जावे। संस्था का नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत परीक्षण किया गया कि विभिन्न सार्वजनिक , उद्योग व अन्य गतिविधियों हेतु संस्थानों को संभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है तथा अन्य स्थान पर (संभागीय मुख्यालय छोडकर) 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है अतः प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया कि प्रकरण में कीमतन आवंटन किया जाना उचित होगा। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कीमतन आवंटन करने की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: उच्च जलाशय का निर्माण हेतु डालीबाई मंदिर जैसलमेर बाईपास रोड पर भूमि आवंटन।

अधिशाषी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड–तृतीय (उ.वि. एवं राजस्व) के पत्रांक 3690–93 दिनांक 07/01/2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय मंत्री महोदया जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्व मण्डल जयपुर द्वारा विधानसभा में कि गई घोषणा के अनुरूप सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के अधीन गनर खण्ड पाल रोड मउच्च जलाशय का निर्माण डाली बाई का मन्दिर के आस–पास जैसलमेर रोड़ भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है।

उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट टी. डी. आर. (पश्चिम) द्वारा ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 54,59,60 व70 ग्राम चौपासनी जागिर विनायक विहार कॉलोनी में कप्युनिटी फेसेलिटी के लिए 220X220= 5393.29 वर्गगज मे से उच्च जलाशय निर्माण हेतु 25X25 मीटर भूमि रिक्त है। आवंटन योग्य दर्शाई है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति मे निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया कि प्रकरण में कीमतन आवंटन किया जाना उचित होगा। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कीमतन आवंटन करने की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: प्राधिकरण के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों की पैरवी के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का क्षेत्राधिकार पूर्व में 72 राजस्व ग्रामों तक था अभी वर्तमान में प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार बडकर 395 राजस्व ग्रामों तक हो गया है। इन राजस्व ग्रामों से संबंधित कई राजस्व प्रकरण विभिन्न उप खण्ड राजस्व अधिकारियों के यह

दायर हो रहे है। यह प्रकरण मुख्यतय खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। उप खण्ड राजस्व अदालत में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की गई है। अब उक्त प्रकरणों की पैरवी के लिए जोधपुर में नियुक्त राजस्व अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी किए जाने के अनुरोध किए जाने पर उन्होंने लिखित में बतलाया कि बिलाड़ा, भोपालगढ़, लूणी और ओसियां उपखण्ड राजस्व अदालतों में मेरे द्वारा पैरवी की जानी असुविधाजनक है। अतः उक्त उपखण्ड कार्यालयों में दायर होने वाले राजस्व प्रकरणों जिनमें जोधपुर विकास प्राधिकरण को भी अप्रार्थीगण के रूप में दर्ज किया गया है। अब इन प्रकरणों की पैरवी करने के लिए क्या कार्यवाही की जायें। मार्गदर्शन करावें।

1. उक्त उपखण्ड राजस्व अधिकारियों की अदालतों में वकालत करने वाले वकीलों में से किसी वकील को नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
2. जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को निवेदन किया जाना है कि विभिन्न उपखण्डों में प्रस्तुत होने वाले राजस्व प्रकरणों का हस्तान्तरण उपखण्ड अदालत जोधपुर में किया जावें।

बैठक में उपस्थित निदेशक–विधि ने विचार विमर्श के दौरान उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अभिमत प्रकट किया। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार उपखण्ड राजस्व अधिकारियों की अदालतों में वकालत करने वाले वकीलों में से किसी वकील को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: विवेक विहार योजना में ग्राम पंचायत के लिए भूमि आवंटन बाबत।

वर्ष 2014–15 में नवसृजित ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत कुडी भगतासनी के ग्राम–पंचायत भवन हेतु सरपंच कुडी भगतासनी द्वारा कुडी भगतासनी के ग्राम वासियों को पंचायत कार्यालयों तक पहुंचने में सुविधाजनक रहे इसलिए मुख्य पाली रोड के समीप क्षेत्र में अनुमानित 4 या 5 बीघा भूमि नवीन भवन निर्माण करने हेतु मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मुख्य पाली रोड पर स्थित प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में पाली–जोधपुर सडक से सालावास सडक को जोडने वाली मास्टर प्लान में उपलब्ध 200 फीट रोड पर प्रथम सरकारी कार्यालय एवं पुलस स्टेशन प्रयोजनार्थ हेतु भूमि आरक्षित है, एवं द्वितीय इसके पास ही ओ.सी.एफ. प्रयोजनार्थ की भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट दी है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार विवेक विहार योजना के रिवाईज्ड अनुमोदित ले–आऊट प्लान में आवेदित भूमि सेक्टर सी में ओ.सी.एफ. प्रयोजनार्थ एवं अन्य भूमि सरकारी कार्यालय और पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित है। ग्राम पंचायत भवन, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय की श्रेणी में आते हैं, अतः ग्राम पंचायत भवन (सरकारी कार्यालय) हेतु सरकारी कार्यालय व पुलिस स्टेशन की भूमि अनुज्ञेय है।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार सेक्टर–सी में सरकारी कार्यालय और पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल 5.40 बीघा मौके पर रिक्त है, व मौके पर चार दीवारी का निर्माण पाया गया है।

नवीन आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन करने का कोई प्रावधान नीति में नहीं है तथा न ही पूर्व आवंटन नीतियों में ऐसा प्रावधान रहा है। वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण रीजन क्षेत्र में 385 राजस्व ग्राम सम्मिलित होने से ग्रामों के सरपंचों द्वारा पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटन की निरन्तर मांग की गई है। सरपंच ग्राम पंचायत कुडी भगतासनी द्वारा 4 या 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

अतः प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में ग्राम पंचायत के लिए भूमि आवंटन के संबंध में स्वीकृति व आवंटन किये जाने वाले क्षेत्रफल का निर्धारण एवं राज्य सरकार की स्वीकृति के कम में प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–दक्षिण ने अवगत कराया कि नवीन आवंटन नीति के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के लिए भूमि आवंटन करने का कोई प्रावधान/दिशा निर्देश नहीं है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि राजस्व अधिनियम में पंचायत भवन को 3/4 बीघा (पौन बीघा) भूमि आवंटन करने का अवश्य प्रावधान है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत के लिए 3/4 बीघा (पौन बीघा) भूमि आवंटन करने की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: पब्लिक वर्क्स कमेटी का गठन।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का वर्ष 2016–17 का बजट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 जून, 2016 में पारित किया जा चुका है। बजट की घोषणा के अनुसार 50 लाख रूपये तथा इससे अधिक के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने की शक्तियां इस हेतु गठित पब्लिक वर्क्स कमेटी को प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। उक्त कमेटी का गठन इस प्रकार किया जाना प्रस्तावित है:–

1– आयुक्त
2– सचिव
3– निदेशक (वित्त)
4– निदेशक (अभियांत्रिकी) सदस्य सचिव

समिति के गठन का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: सरदार पटेल शिक्षण संस्थान भूमि आवंटन के संबंध में।

सरदार पटेल शिक्षण संस्थान को तात्कालीन गनर विकास न्यास जोधपुर कि आवंटन समिति बैठक कदिनांक 27/2/2008 को खसरा नं0 88 में 8093.44 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। तात्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा संस्थान को आवंटन पत्र इस की आरक्षित दर 500/–प्रति वर्गमीटर + 20% प्रशासनिक शुल्क कुल भूमि कि किमतन 4856068 का डिमाण्ड नोटिस जारी करने पर संस्थान द्वारा आवंटन राशि का 10% राशि 485606/– तात्कालीन न्यास कोष में जमा कराये गये है। तथा प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

राज्य सरकार के पत्रांक 403(631) न0विवि/3/08 दिनांक 3/10/2008 को संस्थान को आवंटित भूमि आरक्षित दा कि 25% दर पर आवंटन कि स्वीकृति प्रदान कि गई। तुसमय में संस्थान कि मूल पत्रावली माथुर आयोग में जांच हेतु भिजवाई गई तथा मूल पत्रावली माथुर आयोग से माननीय लोकायुक्त सचिवालय में हस्तांतरित कि गई। माथुर आयोग में पत्रावली भिजवाने के फलस्वरूप न्यास द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई थी। वर्तमान पत्रावली पुनः प्राप्त होने पर दिनांक 16/2/2015 को प्राधिकरण द्वारा संसीन को आवंटन निरस्तीकरण हेतु नोटिस दिया गया।

संस्थान द्वारा नोटिस के जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंत्री मण्डलीय उपसमिति के निर्णय दिनांक 13/10/2008 की पालना में संस्थान को काई राशि जमा करवाने का डिमाण्ड नोट/सूचना संस्थान को कभी नही दी गई। संस्थान पूर्व में भी राशि जमा कराने को तैयार थे। वर्तमान में भी नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

खसरा नं0 88 ग्राम बडली का राज्यस्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति कि बैठक क्रमांक 91/2008 दिनांक 2506409/2008 की कार्यवाही में खसरानं0 88 ग्राम बडली की 2500 बीघा भूमि जिला कलेक्टर से हस्तांतरित भूमि में से 430 बीघा भूमि का आवासीय (मिल्कमेन को0/कच्चीबस्ती पुर्नवास हेतु) एवं 150 बीघा भूमि का सार्वजनिक एवं शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु भू उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है। मूल पत्रावली तहसीलदार पश्चिम द्वारा लोकायुक्त में जवाब देने हेतु जयपुर लेकर गये है। उपरोक्त तथ्यों पर निर्णय हेतु प्रकरण प्राधिकरण कि कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–विधि एवं उपायुक्त–पश्चिम को प्रकरण का प्रत्येक बिन्दु पर पूर्ण परीक्षण कर आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कई बार प्रकरणों का पूर्ण परीक्षण किये बगैर ही प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। जिससे निर्णय लेने में असमजस्ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः यह निर्णय लिया गया कि अब आगामी बैठकों में जो भी प्रकरण प्रस्तुत किये जावे उनका पूर्ण परीक्षण किया जावे तद्उपरान्त ही प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अरूण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक/आवंटन/2015/1802–5/3067-3093 दिनांक :: 01 जुलाई ~~जून~~, 2016

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर

12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

(अरूण पुरोहित)
सचिव

परिशिष्ट–क

दिनांक 27 जून, 2016 को सांय 4.00 बजे श्री कैलाश चन्द्र मीणा, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (पश्चिम), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
2.	श्री सुमनेश माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
3.	श्री अतुल बल रतनू, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4.	श्री रामलाल, निदेशक– अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री इन्द्रजीत, सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री चन्द्रवीर, सहायक प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
9.	श्री रघुनाथ गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव